



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-34 / 2024

दर्ज तिथि:-17.05.2024

1. वेहनाराम पुत्र जुगताराम
2. गुणेशाराम पुत्र जुगताराम
3. खेतू वैवा जुगताराम  
जाति जाट निवासी राजीव नगर, लूंगी नाडी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. जोगाराम पुत्र दीपाराम
2. वीराराम पुत्र दीपाराम
3. बांकाराम पुत्र दीपाराम
4. वरजू वैवा दीपाराम
5. बागाराम पुत्र लाभूराम फौत के कायम मुकाम  
5/1 भोमाराम पुत्र बागाराम  
5/2 अचलाराम पुत्र बागाराम  
5/3 भलाराम पुत्र बागाराम  
जाति जाट निवासी राजीव नगर लूंगी नाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री बलवन्तसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:- एकतरफा


राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-10.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना



खसरा संख्या 1237/8.1827 है0, 448/3.7959 है वाके ग्राम राजीव नगर,पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शागलाती कब्जे काशत खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगणका हिस्सामुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुत्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रैजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित लिहाजा उनके विरुध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्ता वादी ने बिना साक्ष्य प्रस्तुत किये सीधे बहस का निवेदन किया जिस पर विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रैजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू-धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भूअ./2025/950 दिनांक 17.04.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रैजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भूअ./2025/950 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा राजस्थान काशतकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रैजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p><b>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields.</b> - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 17.02.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु</p>	<p>1. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना के नोटिस</p>

सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	क्रमांक कोर्ट./2025/277-287 दिनांक 13.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 17.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया गया जाकर तामिल करवाये गए।
--	---


3. प्रकरण में वादी वकुलाय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073-2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1237/8.1827 है0, 448/3.7959 है वाके ग्राम राजीव नगर,पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा- ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:-

**प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:-** प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह- काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

**द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

**तृतीय- अपूरणीय क्षति:-** प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किराी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।


5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम - 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1237/8.1827 है0, 448/3.7959 है वाके ग्राम राजीव नगर,पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
खेतूदेवी पत्नी जुगताराम गुणेशारामपुत्र जुगताराम वेहनाराम पुत्र जुगताराम कौम जाट सा.दे.खाते.	1/3	1237 राजीवनगर	2.5683	बा.दो.	0.95	हरा
	1/3	448 राजीवनगर	1.4245		0.53	
	1/3	2	3.9928		1.48	
बागाराम पुत्र लाभूराम कौम जाट सा.दे.खाते.	आंशिक	1237 राजीवनगर	1.7244	बा.दो.	0.64	लाल
		448 राजीवनगर	2.2684		0.84	
		2	3.9928		बा.दो	
जोगाराम पुत्र दीपाराम वीराराम पुत्र दीपाराम बांकाराम पुत्र दीपाराम कौम जाट सा.दे.खाते. रहन जमाबर्दी अनुसार	1/3	1237 राजीवनगर	3.8900	बा.दो.	1.44	पीला
	1/3	448 राजीवनगर	0.1030		0.03	
	1/3	2	3.9930		बा.दो	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन

  
सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

वेहनाराम बनाम जोगाराम  
2024 / 95

निर्णय दिनांक:-10.06.2025

कब्जा व वेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में  
रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री  
तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम  
जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं  
मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



10/6/2025  
(भागीरथराम आर.एस.एस.)  
सहायक कलक्टर  
धोरीमन्ना  
बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी  
धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठारसीन अधिकारी -भागीस्थराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-34 / 2024

दर्ज तिथि:-17.05.2024

1. वेहनाराम पुत्र जुगताराम
2. गुणेशाराम पुत्र जुगताराम
3. खेतू वैवा जुगताराम

जाति जाट निवासी राजीव नगर, लूंगी नाडी, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. जोगाराम पुत्र दीपाराम
2. वीराराम पुत्र दीपाराम
3. बांकाराम पुत्र दीपाराम
4. वरजू वैवा दीपाराम
5. वागाराम पुत्र लाभूराम फौत के कायम मुकाम  
5/1 भोमाराम पुत्र बागाराम  
5/2 अचलाराम पुत्र बागाराम  
5/3 भलाराम पुत्र बागाराम

जाति जाट निवासी राजीव नगर लूंगी नाडी तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री बलवन्तसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:- एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188

राजस्थान काश्त0 अधिनियम-1955

:-पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -  
1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता  
है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1237/8.1827 है0, 448/3.7959  
है वाके ग्राम राजीव नगर,पटवार हल्का दूधू तहसील धोरीमन्ना जिला  
बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित

सहायक कलक्टर  
SDO धोरीमन्ना

तालिकानुसार दावा वाद डिग्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहरीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किरम	लगान	वरंग
खेतूदेवी पत्नी जुगताराम	1/3	1237 राजीवनगर	2.5683		0.95	हरा
गुणेशारामपुत्र जुगताराम	1/3	448 राजीवनगर	1.4245	बा.दो.	0.53	
वेहनाराम पुत्र जुगताराम	1/3				1.48	
कौम जाट सा.दे.खाते.		2	3.9928			
बागाराम पुत्र लाभूराम	आंशिक	1237 राजीवनगर	1.7244		0.64	लाल
कौम जाट सा.दे.खाते.		448 राजीवनगर	2.2684	बा.दो.	0.84	
		2	3.9928	बा.दो	1.48	
जोगाराम पुत्र दीपाराम	1/3	1237 राजीवनगर	3.8900		1.44	पीला
वीराराम पुत्र दीपाराम	1/3	448 राजीवनगर	0.1030	बा.दो.	0.03	
बांकाराम पुत्र दीपाराम	1/3				1.47	
कौम जाट सा.दे.खाते.		2	3.9930	बा.दो		
रहन जमाबदी अनुसार						



उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रुकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

यह डिग्री आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

10/6/2025  
 (भागीरथराम आर.एस.)  
 सहायक कलेक्टर  
 धोरीमन्ना बाड़मेर  
 SDC